

Not Press

09/11/2020

पत्रपत्नी केस डायरी अखिवक्ता वादी उपान्वित  
अखिवक्ता वादी ने इन लम्बे पर बाद में कोई  
कार्यवाही नहीं पहले वाकत निकाल कर नोटिस  
अंकित किया है इसे प्रकृत नोटिस में खारीज  
किया जाता है। पत्रपत्नी केसल सुमार लेकर  
नम्बर से कम है।

(श्याम सुन्दर विश्णोई)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



B. B. Bhandari  
9.11.20